भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछ्वाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष नं. 0151–2253123/2250960

नकारा/अनुपयोगी वाहन की नीलामी हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के नकारा/अनुपयोगी वाहन एम्बेसडर कार [मॉडल नं. AMB GRAND 1800 ISZ BUAC PS MPFI (EURO-III) एवं रजिस्ट्रेशन नं. RJ O7-CA-4367] की नीलामी जहां है जैसी के आधार पर दिनांक 16.05.2018 को प्रातः 11.30 बजे से संस्थान के कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि रूपये 10,000.00 (रू. दस हजार मात्र) नगद जमा करवाकर एवं अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म उपरोक्त नकारा वाहन को देखने हेतु कार्य दिवस में (सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य) संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नीलामी सूचना एवं विस्तृत शर्तों की इत्यादि जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.ciah.ernet.in एवं CPP/NIC Portal (GoI) एवं संस्थान के सूचना पट्ट से ली जा सकती है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछवाल, बीकानेर - 334006

F.No.CIAH/Store/2017 Date: 10.05.2018

नीलामी सूचना एवं नियम शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के नकारा/अनुपयोगी वाहन एम्बेसडर कार (मॉडल नं. AMB GRAND 1800 ISZ BUAC PS MPFI (EURO-III) एवं रजिस्ट्रेशन नं. RJ O7-CA-4367) की नीलामी जहां है जैसी के आधार पर दिनांक 16.05.2018 को 11.30 बजे से संस्थान के कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

नियम/शर्ते :–

1. नीलामी संस्थान के कार्यालय, 10वें किमी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीकानेर पर दिनांक 16.05.2018 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की जायेगी।
2. नीलामी में बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता रू. 10,000.00 धरोहर राशि के रूप में तथा अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र 11.00 बजे जमा करवाने होंगे।
3. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति के पश्चात मौके पर ही 25 प्रतिशत राशि नगद तथा शेष राशि 7 कार्य दिवसों में जमा कराने होंगे। शेष राशि नियत अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में जमा कराने होंगे। शेष राशि नियत अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करायी गयी 25 प्रतिशत राशि व धरोहर राशि रू. 10,000.00 जब्त कर ली जावेगी।
4. उपरोक्त वाहन राजस्थान राज्य में पंजीकृत है। वाहन के स्वामित्व अंतरण (Transfer) हेतु लगने वाले सभी खर्चे सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
5. वाहन की डिलीवरी लेने से पूर्व सफल बोलीदाता को राज्य सरकार के नियमानुसार बिक्री कर संबंधित विभाग में जमा कर, अनापत्ति/अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नीलाम किये जाने वाले वाहनों "जैसा है जहां है आधार पर" वर्णित स्थल से नीलाम किया जायेगा।
7. पुराने/अनुपयोगी वाहनों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर बोलीदाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि को मौके पर ही लौटा दिया जावेगा।
8. बोलीदाता को अपनी पहचान का फोटोयुक्त आई.डी. प्रूफ, पेन संख्या, मोबाइल नम्बर एवं पूर्ण पता देना होगा एवं पेन संख्या की फोटो प्रति भी बोली शुरू होने से पहले जमा करवानी होगी।
9. नीलामी स्थल पर निविदा खोले जाते समय कानून एवं व्यवस्था का पालन करना होगा।
10. नीलामी की अधिकतम/अंतिम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान निदेशक के पास पूर्ण सुरक्षित होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी